न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—47 / 2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़

—स्टेट

बनाम

बलवीर सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति रायसिख निवासी चक 3 जीजीआर. पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. श्री सुशील छाबड़ा अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय दिनांकः—**12.08.2021**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना टिब्बी द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल बलवीर सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति रायसिख निवासी चक 3 जीजीआर. पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, हथकढ़ शराब बनाने व बेचने का कार्य करता है एवं गरीब लोगों को लालच देकर आम जनता का आर्थिक शोषण करता है जिससे समाज में अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। उक्त गैर सायल की काफी आपराधिक गतिविधियां है मगर यह पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है। कई बार पुलिस की पकड़ में नहीं आने के कारण इसकी आपराधिक गतिविधियां रिकॉर्ड में नहीं आती है। इसके भय से आम आदमी सूचना नहीं देते है। पुलिस थाना, टिब्बी के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 4 अभियोग पंजीबद्ध होकर न्यायालय में पेश किये गये है। 3 अभियागों में सजायाब व 1 अभियोग पैण्डिग कोर्ट फरमाया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र.सं.	मु. नं. व दिनांक	धारा	चालान की दिनांक	न्यायालय द्वारा सजायाब की दिनांक
1	मु. नं. 356 / 15.10. 2010	धारा 16 / 54 आब. अधि.	14.11.2010	24.11.2011
2	मु. नं. 170 / 15.05.	धारा 16 / 54	23.05.2012	16.06.2012

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	2012	आब. अधि.		
3	मु. नं. 42/19.03.2013	धारा 16/54 आब. अधि.	19.06.2013	15.07.2013
4	मु. नं. 56/03.04.2013	धारा 16/54 आब. अधि.	08.07.2013	पैण्डिग कोर्ट

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है जिससे गरीब तबके के लोग अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के बारे में आशंकित है। ऐसी गतिविधियां या कार्य जिले या जिले के किसी भाग में सम्पत्ति को संत्रास, खतरा हो रहा है या होने की संभावना है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए बाद समायत सलूक कानूनी फरमावे।

गैरसायल बलवीर सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति रायसिख निवासी चक 3 जीजीआर. पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06.10.2016 को उपस्थित होकर जवाब इस्तगासा प्रस्तुत किया।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने जवाब के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल विरूद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी राज. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत हैं तथा जिनका प्रार्थी ने सम्बन्धित न्यायालय में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर निपटारा भी करवा लिया गया है तथा न्यायालय द्वारा दिये गये परिवीक्षा के लाभ का प्रार्थी द्वारा कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी ने आज तक शांति बनाए रखी है ओर इसके अलावा प्रार्थी पर धारा 107, 116(3), 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी पर चोरी, उदापन, डकैती, आपराधिक अतिचार, रिष्टी, दस्तावेज और सम्पति के अपराध, संविधाओं के आपराधिक भंग के अपराध, मानहानि सम्बन्धी अपराध, दहेज सम्बन्धी अपराध, हत्या इत्यादि कोई भी मुकदमा न तो दर्ज हुआ है व ना ही किसी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी पर ऐसे कोई मुकदमें दर्ज नहीं है। प्रार्थी ने कोई गैंग नहीं बना रखी है व ना ही प्रार्थी किसी गैंग का सदस्य ही है। प्रार्थी ने अपने जीवन में सुधार किया है तथा शराब के धन्धे को छोड़ चुका है तथा लोगों की कृषि भूमि ठेका पर लेकर काश्त कर आय अर्जित करता है तथा अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुंड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(III) में वर्णित अपराध कारित किये है, जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को एक वर्ष की अवधि तक शांति बनाये रखने हेतु 400, 500 व 800 रूपये के जमानत मुचलका पर पाबन्द किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2010–2013 में दर्ज किए गए है इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन

आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, टिब्बी ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। वकील गैर सायल ने बहस में निवेदन किया कि प्रकरण 2013 से पूर्व के हैं गैर सायल द्वारा 2013 के पश्चात कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। गैर सायल बलवीर सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह गांव चक 3 जीजीआर. का रहने वाला है, वह गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता है तथा गांव में किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में थानाधिकारी पुलिस थाना, टिब्बी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, टिब्बी को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़